सीवर लाईन में बाधित अवैध कब्जा को निगम ने हटाया

भिलाईनगर। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन–4 शिवाजी नगर अंतर्गत अवैध कब्जा हटाने कार्यवाही की गई। शहर के विकास में आ रहे बाधा को ध्यान में रखते हुए अवैध कब्जा हटाने पांचो जोन क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। जिससे विकास कार्य में किसी प्रकार की समस्या न हो। नगर पालिक निगम भिलाई जोन–4 शिवाजी नगर क्षेत्रांतर्गत जोन–2 वार्ड क्रं. 49 सुभाष मार्केट (के.एल.सी. लाईन, के–3 मार्केट का बैकलाईन) एवं वार्ड क्रं. 45 बालाजी नगर (सड़क 50 से सड़क 54 1/,तक), वार्ड क्रं. 44 लक्ष्मीनारायण नगर (निगम स्वामित्व के मुख्य सीवर लाईन में) मुख्य सीवर लाईन तथा वार्ड क्रं. 49 के–3 मार्केट बैक लाईन के कुल 197, सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य में बाधित अवैध कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाये जाने प्रथम एवं अंतिम सूचना पत्र तामिल किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्थापित मुख्य सीवर लाईन निर्माण कार्य में बाधित क्रमशः वार्ड 49 के 49, वार्ड 45 के 40 एवं वार्ड 44 के 5 तथा वार्ड 49 के–3 मार्केट बैक लाईन में स्थित 197, इस प्रकार कुल 291 मुख्य सीवर लाईन तथा बैक लाईन से अवैध कब्जेधारियों द्वारा आज दिनांक तक अवैध कब्जा नहीं हटाने के कारण सीवर लाईन संधारण एवं चेम्बर निर्माण कार्य बाधित है। जिसकी बेदखली कार्यवाही दिनांक 23.02.2026 को किया गया है एवं शेष की कार्रवाई की जायेगी । कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता संजय वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा, राजस्थानी निरीक्षक विजेंद्र परिहार, हरिओम गुप्ता सहित बेदखली टीम उपस्थित रहे।